RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 28 फरवरी, 2015 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 9

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आप सबको होली की बहुत–बहुत बधाइयाँ। आशा है कि होली का त्यौहार आप सबको बहुत शुभ होगा और खुशियाँ लाएगा।

जैसा अनुमान चल रहा था, आलू की फसल पूरे प्रदेश में ही नहीं सारे देश मे काफी अच्छी हुई है इस कारण बाजारों में आलू के भाव भी काफी गिर गए हैं।

इस समय किसानों का रूझान आलू के भण्डारण की ओर अधिक है बजाए इसके कि वह आलू को बाजार में बेच दें इसलिए सभी शीतगृहों पर आलू की आमद अच्छी हो रही है। अनेक शीतगृहों पर तो ट्रक्टर ट्राली, ट्रको की लम्बी–लम्बी लाइने लग गई हैं और जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे है और अलीगढ़ मीटिंग में भी कहा था कि इस वर्ष पल्लेदारों की बहुत कमी हो जायेगी और कुछ शीतगृहों के यहा से पल्लेदार दूसरे शीतगृहों मे भी चले जायेंगे अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए।

शीतगृहों को किसी भी हालत में टीन शेड के बाहर आलू नहीं उतरवाना चाहिए वरना आलू धूप और पानी से खराब हो जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शीतगृहस्वामी पर ही आयेगी। जितना माल लोड कर सकते हैं उतना ही उतरवाइये और साथ में यह भी देखते जाइये कि शीतगृह कक्षों के

तापमान ठीक चल रहे है या नहीं। पचास डिग्री फारेहनहाइट से ऊपर तापमान तो किसी भी हालत में न जाने दे वरना बढ़े हुए तापमान को गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी बीच में भण्डारित माल खराब होने लगता है। हमें सारे प्रदेश से कहीं भी भण्डारण प्रभार के बारे में कोई सुनने में नहीं आई है।

इस वर्ष हमारा अनुमान उत्तर प्रदेश के साधारण उत्पादन जो कि 1,10,000 मीट्रिक टन होता था 15 से 20 प्रतिशत बढ़कर उत्पादित होने का अनुमान है। अतः शीतगृहों के खाली रह जाने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। सभी शीतगृह पूरी तरह भर जाने चाहिए।

नियमों का पालन करते हुए अपने यहा भण्डारण प्रभार स्पष्ट रूप से अवश्य प्रदर्शित करिए। **किसान अधिकार पत्र** को अवश्य लगाइये और यदि कोई भण्डारणकर्ता अपने माल की पक्की रसीद चाहता है तो उसे तुरन्त उपलब्ध कराइये। लेकिन रसीद असली मालिक को ही दी जानी चाहिए। ट्रक या ट्राली वाले को असली रसीद कभी न दें। उसे केवल पहुँच दें।

अलीगढ मीटिगं के सम्बन्ध में :

दिनांक 1.2.2015 को अलीगढ़ में शीतगृह भण्डारण प्रभार सम्बन्धी मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें शीतगृहस्वामियों ने बड़ी सख्यां मे उपस्थिति दर्ज कराई।

इस मीटिंग का प्रबन्ध अलीगढ़–हाथरस कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन ने किया था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना व शाम के नाश्ते के साथ, सदस्यों के रात में ठहरने का भी पूरा इन्तजाम किया गया था। यह मीटिंग होटल रॉयल रेजीडेन्सी, दिल्ली जी.टी. रोड, अलीगढ़ में की गई।

अलीगढ–हाथरस कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य बधाई के पात्र है विशेषत्या अध्यक्ष, अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन श्री गिरीराज कुमार महेशवरी, सचिव श्री अतुल अग्रवाल, श्री रविकान्त अग्रवाल, अध्यक्ष हाथरस कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स व श्री मोहित अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव (पश्चिम उत्तर प्रदेश) ने सराहनीय कार्य किया। करीब 800 आदमियों के खाने ठहरने का पूरा इन्तजाम प्रशंसा योग्य था। सभी उपस्थित शीतगृहस्वामियों को कीमती उपहार दिए गए व विशिष्ट अतिथियों को अलग से उपहार दिए गए।

1. इस मीटिंग में सदस्यों को बताया गया कि वह Food Safety Act से अभी परेशान न हो और न ही अपने को Register कराये क्योंकि वह amendment जिसके जरिये कोल्ड स्टोरेज को Food Safety Act में लाया गया था वह अब फिर सरकार के विचाराधीन है।
2. Warehousing & Regulatory Act 2007 के अर्न्तगत भी अपने को Register सोच समझ कर कराये क्योंकि इसमें Register होने के बाद फिर आपके द्वारा भण्डारणकर्ता को दी हुई पक्की रसीद पर बैंक सीधे लोन दे सकता है और भण्डारित माल का पूरा स्वामी बन जाता है। अतः उस भण्डारित आलू पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। इस प्रकार आपका भाड़ा संकट में पड़ सकता है।
3. वर्ष 2015 में भण्डारण प्रभार क्या हो इसमें सभी सदस्यों ने एक मत से 200 रूपए प्रति कुन्तल

की हाँ भरी है। बिजली के बढ़े हुए रेट को लेकर व पल्लेदारी, मासिक वेतन, मरम्मत आदि के खर्चे बढ़ने से शीतगृहस्वामी काफी परेशान थे। खर्चा करीब 30 रूपए कुन्तल बढ़ा है, इसे देखते हुए भी गत वर्ष के अनुपात में केवल 10 रूपए प्रति कुन्तल की बढ़ोत्तरी की गई। वैसे हर शीतगृह अपना प्रभार रखने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।

4. यह भी फैसला हुआ है कि सारे शीतगृह कोल्ड स्टोरेज का भण्डारण प्रभार केवल कुन्तल में लिखेंगे। यदि पैकेट में लिखते हैं तो उन्हे पैकेट का वजन 50 किलो लिखना होगा। वह चाहे तो 50 किलो से ऊपर के कट्टे या पैकेट आए और वह केवल 50 किलो का ही पैसा लेना चाहे तो ले सकते है और वह यदि चाहे तो पूरे वजन के हिसाब से भाड़ा चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ यह भी फैसला लिया गया कि शीतगृह अपने यहाँ यदि आलू की ब्रिकी होती है तो उसे 50 किलो के बदले मे 52.500 की तौल या और कम या ज्यादा की तौल को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और इस प्रकार की बिक्री में अपना नाम नहीं आने देंगे। कई भण्डारणकर्ताओं ने यह शिकायत की है कि जब हम आलू बेचते है तो खरीदार हम से 50 किलो वजन के बदले में 52.500 किलो आलू ले लेता है। हमें इस तरह के सौदों में किसी भी तरह नहीं पड़ना है।

Uttar Pradesh Potato Development Policy 2014 :

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में आलू के उत्पादन के लिए एक नीति तैयार करी है। इसमें आलू का बीज, आलू का उत्पादन बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बारे में बताया गया है। इसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि यह हमें अंग्रेजी में ही मिली है इसलिए हम इसे अंग्रेजी में ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

Salient Points of Potato Development Policy :

The Uttar Pradesh Potato Development Policy-2014 has been promulgated by G.O. No. 5/534/58-2014-151/2012-A-1 dated 04-03-2014. Salient points of this policy are as under :-

- ❑ To promote production of quality potato seed by procurement of breeder seed from Central Potato Research Institute (CPRI), Govt. of India, Shimla and by multiplication of this seed to second generation (F1) at Govt. farms of the state.
- ❑ Storage of produced foundation seed in Govt. cold storage and distribution of that seed to selected farmers for further seed multiplication.
- ❑ To produce disease free certified potato seeds in next generations on farmers fields and storage of the seeds in selected cold storages.
- ❑ Arrangement for procurement/buy back of certified/tagged potato seed from seed producing farmers through National Horticulture Research and Development Foundation (NHRDF).
- ❑ To ensure the storage of potato in the month of March/April and to make arrangement of proper return of stored potatoes to the farmers.

- To increase area, production and productivity of potato with the help of quality seeds and modern technologies.
- To promote the establishment of multi purpose/multi chamber cold storages of modern technology for storage of seed and table potato in the state.
- To promote Capacity building for technology transfer regarding potato production and processing.
- To arrange potato exhibitions and buyer-seller meets for promotion of market development and marketing/export of potatoes.
- To promote establishment of potato based processing industries in State.
- Establishment of to Centre of Excellence for potato in the State.

Subsidy/rebates under Potato Development Policy :

Major subsidy/rebates under the policy :

- Rs. 3.00 lac for One day potato exhibition and buyer-seller meet to promote marketing of potato in another State through U.P. State Horticulture Cooperative Marketing Federation (HCMF).
- 40% of the unit cost, subject to a maximum Rs. 6.00 lac for Functional infrastructure for grading, sorting and packing of potatoes under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).
- Rs. 200 per quintal transport subsidy for export of potato and Rs. 50 per quintal brand promotion subsidy for export of potato under Taj Brand through Mandi Board, Uttar Pradesh.
- Rs. 200 lac in public sector and Rs. 100 lac (50% of unit cost) in private sector for establishment of quality control analysis lab.
- A subsidy of Rs. 12,250 per ha. or 50% of the unit cost, for seed production under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).
- Rs. 10,000 per ha. or 20% of the unit cost, as additional subsidy for seed production of processing varieties of potato.
- Other rebates and subsidy under U.P. Food Processing Industry Policy 2012 are applicable for potato based processing industries :
  - Reimbursement of 7% of bank loan interest on capital investment on plant, machinery & spare parts up to Rs. 50 lacs in a year for 5 years for establishment of new food processing industries.
  - 100% exemption on stamp duty fee for establishment and expansion of food processing industry, cold storage & warehouse.

- ❖ 100% exemption from mandi fee & cess for 10 years to all new export oriented food processing units using perishables.
- ❖ 100% exemption from mandi fee for 5 years to new food processing units having capital investment of Rs. 5 crore or more in plant and machinery.
- ❖ Capital subsidy @ 25% upto Rs. 50 lacs, on cost of plant, machinery & technical civil work for setting up/modernization/expansion of food processing industry under NMFP scheme.
- ❖ Capital subsidy @ 50% upto Rs. 50 lacs, on cost of plant, machinery & technical civil work for purchasing of reefer vehicles for transportation of horticultural/non horticultural produces under NMFP scheme.
- ❖ Grants-in-aid @ 35% of cost of plant, machlflery & technical civil works for establishment/expansion of capacity @ Rs. 8000/MT for 5000MT capacity for establishment of multi chamber cold storage for horticultural crops under NHM scheme.

इस नीति का विस्तार से विवरण उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 में हिन्दी में दिया है जिसके उपयोगी अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हमारे हिन्दी जानने वाले पाठक लाभ उठा सके।

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 :

अध्याय–1
दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

उ.प्र. आलू विकास नीति के अन्तर्गत प्रदेश में आलू के उत्पादन में लगे कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं तथा अन्य सभी स्टॉक होल्डर्स को प्रदेश की इस मुख्य नकदी फसल के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि एवं लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

1.1 दृष्टिकोण (विजन) :

उत्तर प्रदेश को आलू फसल के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक सभी विधाओं में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास कराना तथा किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाना, साथ ही घरेलू विपणन एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात को प्रोत्साहित कर राज्य एवं राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन को और अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना।

1.2 उद्देश्य :

आलू किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति निर्धारण करते हुए बीज उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण एवं निर्यात तक के समस्त

कार्यकलापों को नियोजित ढंग से सम्पादित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उ. प्र. आलू विकास नीति–2014 के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है।

- ❑ आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
- ❑ आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- ❑ आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- ❑ प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
- ❑ प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात हेतु बाजार विकास को प्रोत्साहित करना।
- ❑ आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- ❑ उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुँचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

1.3 रणनीति :

प्रदेश की प्रमाणित आलू बीज की माँग को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ब्रीडर बीज से आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय, प्रमाणित प्रथम एवं प्रमाणित द्वितीय श्रेणी तक उच्च गुणवत्ता के आलू बीज का राजकीय एवं निजी प्रक्षेत्रों पर उत्पादन सुनिश्चित कराना।

- ❑ प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती/जैव उर्वरकों की उपलब्धता तथा सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- ❑ आलू की खेती में मशीनीकरण एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना।
- ❑ आलू उत्पादकों को फसल खुदाई उपरान्त प्रबन्धन की नवीनतम तकनीक अपनाने हेतु भण्डारण एवं सीधे विपणन करने से पूर्व ग्रेडिंग, पैकिंग एवं टैगिंग हेतु तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- ❑ प्रदेश में आगामी वर्षों में आलू के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के आधार पर नवीनतम तकनीक के बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना।
- ❑ प्रदेश में स्थापित निजी शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ.प्र. शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। वेयरहाउसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेटरी एक्ट–2007 के अनुसार प्रदेश में स्थापित शीतगृहों को प्रत्यायन /एक्रीडिटेशन) हेतु प्रोत्साहित करना और वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जाना।
- ❑ प्रदेश एवं देश के बाहर आलू विपणन/निर्यात हेतु ढांचागत सुविधाओं के विकास, कृषकों/निर्यातकों को प्रशिक्षण, परिवहन भाड़े पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना।

- ❑ आलू के उत्पादक क्षेत्रों में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 तथा उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- ❑ उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुँचाने के लिए एकीकृत एवं सामयिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
- ❑ आलू उत्पादन की नवीन तकनीकों के प्रदर्शन के माध्यम से हस्तान्तरण हेतु आलू उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पोटैटों की स्थापना कराना।

अध्याय–2
प्राथमिकता के क्षेत्र

2.1 बीज उत्पादन :

प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त बीज का उत्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में राजकीय प्रक्षेत्रों पर ब्रीडर बीज से आधारित श्रेणी के बीजों का उत्पादन किया जाता है। आगे की श्रेणियों आधारित–द्वितीय, प्रमाणित–प्रथम तथा प्रमाणित द्वितीय बीजों का उत्पादन निजी प्रक्षेत्रों पर कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्रों में आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीच उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.2 भोज्य आलू उत्पादन :

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 5.50 लाख हे. क्षेत्रफल में लगभग 135 लाख मी. टन आलू का उत्पादन होता है। प्रदेश की उत्पादकता लगभग 24 मी. टन प्रति हे. है, जो देश की औसत उत्पादकता 19.93 मी. टन प्रति हे. से अधिक है, किन्तु अभी भी प्रदेश में आलू की उत्पादकता को बढ़ाये जाने की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का समावेश करते हुए आलू की उत्पादकता बढ़ाये जाने के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.3 खेती की आधुनिक तकनीकों को बढावा देना :

आलू की खेती में श्रम लागत को कम करने तथा आटोमेशन को बढ़ावा देने तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मशीनीकरण तथा सिंचाई की स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.4 आलू का भण्डारण :

वर्तमान में प्रदेश में 1555 शीतगृह संचालित हैं जिसमें 113.78 लाख मी. टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। प्रदेश में भण्डारण की कोई समस्या नहीं है, किन्तु बढ़ती हुई उत्पादकता तथा

आलू के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को दृष्टिगत रखते हुए शीतगृहों को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण हेतु आलू के भण्डारण की वैज्ञानिक व्यवस्था कराया जाना इस नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया।

2.5 विपणन :

प्रदेश में उत्पादित आलू का लगभग 75 प्रतिशत प्रदेश के अन्दर ही बीज, भोज्य एवं प्रसंस्कृत पदार्थों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत भाग प्रदेश के बाहर देश के अन्य भागों में अथवा देश के बाहर अन्य देशों में विपणन हेतु जाने की आवश्यकता होती है। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर विपणन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करके प्रदेश के आलू उत्पादकों को अधिकतम लाभ दिलाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

2.6 बाजार विकास :

प्रदेश के सरप्लस आलू को समुचित ढंग से विपणन किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रमोशन की व्यवस्था करायी जायेगी।

2.7 प्रसंस्करण :

प्रदेश में उत्पादित आलू का लगभग 3 प्रतिशत भाग प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत पदार्थों (पाउडर, फ्लेक्स, चिप्स, भुजियाँ, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च आदि) के बढ़ते हुए उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक वित्तीय अनुदान एवं रियायतें तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.8 तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास :

आलू के बीज उत्पादन से लेकर भण्डारण एवं विपणन तक सभी स्तरों पर वैज्ञानिक विधियों एवं नवीन तकनीकों को उत्पादकों तक सुगमतापूर्वक पहुँचाने के लिए विकास खण्ड, जनपद एवं प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गोष्ठियों के कार्यक्रम कराये जायेंगे।

अध्याय–4

गुणवत्तायुक्त भोज्य आलू उत्पादन को प्रोत्साहन

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 72–75 लाख मी. टन आलू खाने में उपयोग हो रहा है, लगभग 17 लाख मी. टन बीज के रूप में, लगभग 3 लाख मी. टन प्रसंस्करण के लिये प्रयोग किया जा रहा है। शेष लगभग 25–30 लाख मी. टन आलू अन्य प्रदेशों में विपणन किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में आलू की माँग को दृष्टिगत रखते हुए तद्समय लगभग 100 लाख मी. टन आलू खाने के लिए, लगभग 25 लाख मी. टन बीज उत्पादन के लिए, लगभग 10 लाख मी. टन प्रसंस्करण के लिए तथा 45 लाख मी. टन प्रदेश से बाहर विपणन हेतु आवश्यकता होना अनुमानित है।

उक्त की पूर्ति हेतु आलू के आच्छादन क्षेत्र को 5.55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 6.75 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन को 135 लाख मी. टन से बढ़ाकर 180 मी. टन के स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति के दृष्टिगत आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता होगी। साथ ही आलू की उत्पादन तकनीक में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित कर गुणवत्तायुक्त आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

4.1 वैज्ञानिक विधि से आलू–उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना :

प्रदेश की अधिकांश किसान आलू का उत्पादन व्यावसायिक रूप में न करके अपनी वर्ष भर की जरूरतों तथा अगले वर्ष बीज में प्रयोग करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के आलू उत्पादन में किसानों द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, गुणवत्तायुक्त बीज, संतुलित उर्वरकों एवं पौध रक्षा रसायनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि इन छोटी जोतों में भी व्यावसायिक उत्पादन की भाँति उत्पादकता का कस्तर प्राप्त किया जा सके।

4.2 प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन को प्रोत्साहन :

प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति के दृष्टिगत आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन के लिए कृषकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के मध्य सहभागिता करायी जायेगी।

4.3 उर्वरकों/जैव उर्वरकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना :

प्रदेश के आलू उत्पादक क्षेत्रों में कृषि, सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में बुवाई से पूर्व उर्वरकों, विशेषकर फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। जिन क्षेत्रों में औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, उन्हें प्राथमिकता पर उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। आलू बाहुल्य जनपदों में आलू की खेती में प्रयोग हेतु सूक्ष्म तत्वों एवं जैव उर्वरकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जायेगी। ताकि कृषकों द्वारा इसका उपयोग सुगमतापूर्वक किया जा सके।

उर्वरकों की भाँति आलू की खेती में उपयोग हेतु आवश्यक कृषि रक्षा रसायनों के साथ–साथ बॉयो पेस्टीसाइड व बॉयोएजेण्ड की उपलब्धता भी आलू उत्पादक क्षेत्रों में सुनिश्चित करायी जायेगी।

4.4 सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना :

प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में आलू की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु विद्युत विभाग के द्वारा 15 सितम्बर से 15 जनवरी तक दिन में कम से कम 10 घण्टे

उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का रोस्टर भी इस प्रकार तैयार कराया जायेगा कि दिसम्बर व जनवरी माह में आलू की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध रहे।

4.5 खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना :

आलू की खेती में श्रम लागत को कम करने हेतु आटोमेशन को बढ़ावा देने तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल की गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मशीनीकरण तथा सिंचाई की स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.6 खुदाई उपरान्त प्रबन्धन :

प्रगतिशील आलू उत्पादकों को आलू की खुदाई के तत्काल बाद विक्रय हेतु तथा भण्डारण के उपरान्त विक्रय हेतु ग्रेडिंग की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे कृषकों को विक्रय के समय आलू की श्रेणी एवं गुणवत्ता के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें।

4.7 अनुदान एवं रियायतें :

4.7.1 आलू की खेती में पॉवर मशीन (20 बी.एच.पी. से अधिक) के साथ रोटावेटर, पोटैटो–प्लान्टर, पोटैटो–हार्वेस्टर एवं पोटैटो ग्रेडर आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

4.7.2 नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत आलू की खेती में स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति की स्थापना के लिए लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम रु. 19711 प्रति हेक्टेयर तथा अन्य कोटि के कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 16426 प्रति हेक्टेयर अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

अध्याय–5
आलू का भण्डारण

वर्तमान में प्रदेश में 1555 शीतगृह संचालित हैं जिनमें 113.78 लाख मी. टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। आलू उत्पादन का लगभग 70–75 प्रतिशत आलू शीतगृहों में भण्डारित किया जाता है, शेष 25–30 प्रतिशत आलू अगेती/मुख्य आलू की खुदाई के समय दिसम्बर से अप्रैल तक ताजे आलू के रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रदेश में 111. 30 लाख मी. टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आलू की सम्भावित माँग तथा उत्पादन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 125 लाख मी. टन भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होगी।

इस नीति के माध्यम से आलू की उत्पादकता तथा आलू के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को

दृष्टिगत रखते हुए शीतगृहों को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण हेतु आलू के भण्डारण की समुचित व्यवस्था कराये की आवश्यकता है।

5.1 बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना :

प्रदेश के शीतगृह उद्योग को प्रतिस्पर्धी एवं व्यवहार्य बनाने के लिए नई तकनीक पर आधारित बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों के निर्माण, पुराने स्थापित शीतगृहों के आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन एवं विस्तारीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण योग्य आलू के लिए एक ही शीतगृह में अलग–अलग चैम्बर में भण्डारित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

5.2 शीतगृहों में वेयरहाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जाना :

प्रदेश में स्थापित निजी शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ.प्र. शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी एक्ट, 2007 के अनुसार प्रदेश में स्थापित शीतगृहों को प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) हेतु प्रोत्साहित कराकर निगोशियेबुल वेयरहाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जायेगा, ताकि कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित आलू की रसीद पर किसानों को बैकों से ऋण की उपलब्धता सुलभ हो सके।

अध्याय–6
बाजार विकास एवं विपणन/निर्यात प्रोत्साहन

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित आलू के विभिन्न उपभोग के उपरान्त 25 प्रतिशत आलू सरप्लस रहता है, जिससे कई बार बाजार में ग्लट की स्थिति उत्पन्न होने के कारण किसानों को समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इस सरप्लस आलू को अन्य प्रदेशों तथा अन्य देशों में विपणन/निर्यात की आवश्यकता होती है। अन्य प्रदेशों यथा – दिल्ली, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आलू का उत्पादन कम है किन्तु उत्पादन के अनुरूप खपत अधिक है। इसी प्रकार देश के निकटवर्ती देशों तथा खाड़ी देशों में भी आलू की माँग उपलब्ध है। इस स्थानों तक आलू परिवहन की लागत अधिक होने के फलस्वरूप विपणनकर्ता/निर्यातक कम रुचि लेते हैं।

अतएव प्रदेश के सरप्लस आलू उत्पादन को, कम उत्पादन वाले अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में प्रदेश के आलू के बाजार विकसित करने तथा इन स्थानों पर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में विश्व बाजार में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत आलू उत्पादकों को पेस्टीसाइट के सही प्रयोग के बारे में जागरूक किया जाना भी आवश्यक है।

6.1 बाजार विकास :

6.1.1 आलू के प्रमुख आयातक देशों में आलू का बाजार विकसित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपो/मेलों में एपीडा एवं मण्डी परिषद के माध्यम से प्रदेश के आलू को ब्राण्ड नेम से प्रदर्शित कराया जायेगा।

6.1.2 आलू की माँग वाले अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु हॉफेड के माध्यम से एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर–सेलर मीट का आयोजन कराया जायेगा। इस प्रदर्शनी एवं बायर–सेलर मीट में प्रदेश के प्रगतिशील आलू उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों के साथ प्रतिभाग कराते हुए स्थानीय क्रेताओं के मध्य मार्केटिंग टाई–अप कराया जायेगा।

6.1.3 आलू की प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादक किसानों के साथ उद्यमियों का नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क कराने की व्यवस्था, हॉफेड तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा करायी जायेगी।

6.2 आलू की ग्रेडिंग–पैकिंग हेतु ढाँचागत सुविधाओं का विकास :

मण्डी परिषद द्वारा संचालित उ.प्र. पोटैटो डेवलपमेन्ट फैसिलिटैशन सोसाइटी तथा हॉफेड की प्राथमिक औद्यानिक सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से आलू के समूहीकृत विपणन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग आदि के लिए फंक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.3 प्रदेश के भीतर विपणन :

कम आलू उत्पादक जनपदों में आलू की माँग के अनुरूप नियमित आवक तथा दैनिक बाजार भाव की जानकारी किसानों तक पहुँचाने के लिए मण्डी परिषद के वर्तमान सूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। मण्डियों के सूचनापट के अतिरिक्त शीतगृहों पर भी प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में आलू के दैनिक बाजार भाव की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

6.4 प्रदेश के बाहर विपणन :

आलू के कम उत्पादन एवं अधिक माँग वाले राज्यों में आलू के अन्तर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु आलू के अधिक उत्पादन वाले जनपदों की मण्डियों को आलू मण्डी के रूप में चिन्हित करते हुए आलू के सुचारू रूप से विपणन हेतु पोटैटो ग्रेडर लगाये जायेंगे तथा ग्रेडिंग पैकिंग शेड बनाये जायेंगे। किसानों को मण्डियों में अल्प अवधि के लिए उत्पाद भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए मण्डी परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार आलू की बड़ी मण्डियों में शीतगृहों का निर्माण कराया जायेगा।

6.5 देश के बाहर निर्यात :

प्रदेश से मुख्यतया नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा रूस आदि देशों को आलू निर्यात किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त खाड़ी देशों में भी निर्यात की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, अतएव आलू के

निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा। विश्व बाजार में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत आलू उत्पादकों को पेस्टीसाइड के सही उपयोग के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि निर्यात हेतु पेस्टीसाइड के अवशिष्ट मानक के अनुरूप रहे। इस हेतु आलू उत्पादक किसानों को एपीडा एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) के माध्यम से निर्यातक देशों की माँग के अनुरूप जागरूक किया जायेगा तथा पेस्टीसाइड रेजीड्यू परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत की जायेगी।

आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों/आयातकों एवं प्रगतिशील आलू उत्पादक किसानों के मध्य बायर सेलर मीट का आयोजन कराया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन हेतु 'ब्राण्ड प्रमोशन' तथा 'निर्यात पर अनुदान' की व्यवस्था की जायेगी।

6.6 बाजार हस्तक्षेप योजना :

प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में आलू के अधिक उत्पादन या बाजार भाव, लागत मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार भारत सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कराकर राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप मूल्य की दर पर किसानों से आलू क्रय की व्यवस्था करायी जायेगी।

6.7 अनुदान एवं रियायतें :

6.7.1 देश के अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रान्तों में एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर–सेलर मीट के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा हॉफेड को प्रति कार्यक्रम रु. 3 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.2 आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फंक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के सृजन हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.3 देश के बाहर ताज ब्राण्ड से आलू निर्यात किये जाने पर सभी निर्यातकों को परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में रु. 200 प्रति कुन्तल अनुदान मण्डी परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.4 आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों को ताज ब्राण्ड से निर्यात की गयी मात्रा पर ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु रु. 50 प्रति कुन्टल की दर से मण्डी परिषद के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.5 क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के लिए रु. 200 लाख तथा निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 से संकलित

जनपद स्तरीय मीटिंग के सम्बन्ध में :

हमें बेहद खुशी है कि अब जनपद स्तर पर कुछ जनपदों ने शीतगृह सम्बन्धी मीटिंग शुरू करके हमें विधिवत सूचित करना शुरू कर दिया है। मैनपुरी के बाद अब हमें बदायूँ की रिपोर्ट आई है।

49 सदस्यों में से 29 सदस्यों ने मीटिंग अटेंड की और यह निणर्य लिया कि इस वर्ष वह 200 रुपये प्रति कुन्तल चार्ज करेंगे जैसा कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सलाह दी है। यह मीटिंग श्री एस.सी. अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्री एस.सी. अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं।

श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष, अपनी एसोसिएशन के सदस्यों से वार्ता करते हुए व उन्हें आवश्यक पत्र प्रेषित करते हुए।

Cold Storage For Rent

I am sending you details of my cold storage for rent. Please publish this advertisement in coming issue.

Husain Cold Storage and Allied Industry

Cold Storage for Rent

1. Capacity 60 Thousand Quintal
2. Generator 125,250 KVA

Address : Lakhimpur Road, Nanpara Distt : Bahraich
Contact : Sadiq Husain Ph. 9919279415

Regards and Regards
Sabir Husain

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित